प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, उदयपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2023
प्र.इ.रि.स ..303/23.. दिनांक ..5/12/23..

2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट 1988 धाराएं 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –

3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या ......71......... समय ...3.15 PM............
(2) अपराध के घटने का दिन गुरूवार दिनांक 03.07.2023 समय 02.00 पी.एम.
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 03.07.2023 समय 02.00 पी.एम.

4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – हस्तलिखित

5. घटना स्थल : – पुलिस थाना मावली, उदयपुर।
(1) थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 425 किलोमीटर
(2) पता – पुलिस थाना मावली जिला उदयपुर।
.... बीट संख्या .... जरायमदेही संख्या ....
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .... जिला ....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता –
परिवादी
(1) नाम : श्री योगेन्द्र दास वैष्णव
(2) पिता का नाम : श्री प्रभुदास जी
(3) आयु : 42 वर्ष
(4) राष्ट्रीयता : भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या .... जारी होने की तिथि .... जारी होने की जगह ....
(6) व्यवसाय : प्राईवेट कार्य
(7) पताः मीना का खेडा पोस्ट लोपडा तहसील मावली जिला उदयपुर।

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहितः
1. आरोपी श्री राकेश गुर्जर पुत्र श्री पप्पु राम गुर्जर उम्र 29 वर्ष निवासी गांव किशनपुरा डोगा, पोस्ट सिलीसेढ, तहसील व जिला अलवर हाल कानि. नम्बर 450, पुलिस थाना मावली जिला उदयपुर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)
क्रम. सं. सम्पत्ति का प्रकार अनुमानित मूल्य वस्तु स्थिति

1. भारतीय चलन मुद्रा –4,000/– आरोपी श्री राकेश गुर्जर कानि. 450 पुलिस थाना मावली जिला उदयपुर के द्वारा एक लोकसेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग कर परिवादी योगेन्द्र दास वैष्णव के विरूद्ध दर्ज दो एनआई एक्ट वारंट में तामिल नहीं करवाने की एवज् में दिनांक 29.06. 2023 को आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि की मांग की गई थी जिसे परिवादी ने अपने मोबाईल में रिकॉर्ड की थी तत्पश्चात् दिनांक 04.07.2023 को मांग सत्यापन करवाया गया किन्तु आरोपी श्री राकेश गुर्जर कानि. द्वारा रिश्वत राशि की मांग नहीं की गई। तत्पश्चात् आरोपी को ब्यूरो द्वारा की जा रही ट्रेप कार्यवाही की भंनक लग जाने से परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण नहीं करना पाया गया है।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 4,000 रूपये रिश्वत राशि

11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

कार्यवाही पुलिस

वाकियात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 03.07.2023 को समय करीब 2.00 पी.एम. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विक्रम सिंह के कार्यालय कक्ष में परिवादी श्री योगेन्द्र दास वैष्णव पिता श्री प्रभुदास जी उम्र 42 वर्ष निवासी मीना का खेडा पोस्ट लोपडा तहसील मावली जिला उदयपुर ने उपस्थित होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस का आशय की पेश की कि ''मैं प्रार्थी श्री योगेन्द्र दास वैष्णव पिता श्री प्रभुदास जी वैरागी गांव मीना का खेडा तहसील मावली का रहना वाला हू। मेरे 138 एनआई एक्ट के मावली कोर्ट में चार पांच मामले चल रहे है। दिनांक 29.06.2023 को पुलिस थाना मावली से श्री राकेश जी गुर्जर ने मोबाईल नम्बर 94624-04146 से फोन कर मुझे थाने पर बुलाया और मेरे दो एनआई एक्ट वारंट में तामिल नहीं करवाने की एवज् में मुझसे प्रति वारंट के हिसाब से कुल 2000/ की रिश्वत मांगी में उक्त भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ। उक्त भ्रष्ट पुलिसकर्मी बिना रिश्वत लिये कोई काम नहीं करता है। श्री राकेश गुर्जर से दिनांक 29.06.2023 को पुलिस थाना मावली के अन्दर हुई बातचीत को जो आमने सामने हुई थी। मैने मेरे मोबाईल हेण्डसेट रेड मी 9 में रिकॉर्ड कर ली थी, जो पेश कर रहा हू। मेरी उक्त पुलिसकर्मी से कोई रंजिश या उधार लेन देन बकाया नहीं है। साथ ही उक्त कास्टेबल ने मुझे एक पर्ची जिस पर कास्टेबल राकेश गुर्जर ने स्वयं के हाथ से लिखकर मुझे दी थी। जिसमें मेरे तीनो वांरटो का मुचलका नम्बर व तारीख थी, मूल ही पेशकर रहा हूँ, कृपया कानूनी कार्यवाही करावे। इस पर परिवादी से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पूछताछ की गई तो मामला रिश्वत राशि लेन देन का पाया जाने से पुलिस निरीक्षक डां. सोनू शेखावत को कक्ष में तलब कर परिवादी योगेन्द्र से परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट एवं परिवादी द्वारा अपने मोबाईल मे दिनांक 29.06. 2023 को कानि. श्री राकेश गुर्जर से हुई वार्ता को परिवादी द्वारा अपने मोबाईल में रिकॉर्ड की गई वार्ता पर अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् समय करीब 3.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री योगेन्द्र दास वैष्णव को अपने कक्ष में बिठाकर परिवादी द्वारा पेश की गई हस्तलिखित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं परिवादी श्री योगेन्द्र दास वैष्णव द्वारा दिनांक 29.06.2023 को अपने मोबाईल में रिकॉर्डिग की गई वार्ता को सुना गया तो आरोपी श्री राकेश गुर्जर कानि. द्वारा रिश्वत राशि मांग करना पाया गया। उक्त मोबाईल को कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर वार्ता को कम्प्युटर के डेस्क टॉप पर सेव की गई तथा इस सम्बन्ध में परिवादी द्वारा 65बी प्रमाण पत्र भी पेश किया गया तथा मोबाईल पुनः परिवादी श्री योगेन्द्र को लौटाया गया। मामला रिश्वत राशि का पाये जाने से मांग सत्यापन की कार्यवाही की जाना आवश्यक होने से तथा कार्यालय कक्ष की अलमारी से डिजिटल टेप रिकार्डर को निकालकर परिवादी को उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर के संचालन की विधि को भली भांति समझाया गया। इसके उपरान्त ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित श्री टीकाराम कानि. को तलब कर परिवादी श्री योगेन्द्र दास वैष्णव से परिचय करवाया गया तथा श्री टीकाराम कानि. व परिवादी के मोबाईल नम्बर आपस में दिये गये तथा ब्यूरो के कानि. श्री टीकाराम को पाबन्द किया कि आप दिनांक 04.07.2023 को प्रातः परिवादी से सम्पर्क कर मांग सत्यापन की कार्यवाही करावे। तत्पश्चात् परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर रूकसत किया गया। नोट आईन्दा स्वतन्त्र गवाहन व परिवादी के उपस्थित होने पर परिवादी श्री योगेन्द्र द्वारा दिनांक 29.06.2023 को पेश की गई वार्ता की फर्द ट्रासंक्रिप्ट अकब से मूर्तिब की जावेगी।

तत्पश्चात् दिनांक 04.07.2023 को समय करीब 10.00 ए.एम. पर कानि. श्री टीकाराम को मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर के परिवादी श्री योगेन्द्र दास वैष्णव से सम्पर्क कर मांग सत्यापन वार्ता करवा लाने हेतु मुनासिब हिदायत दी जाकर मावली के लिए रवाना किया। तत्पश्चात् समय करीब 1.00 पी.एम. पर कानि. टीकाराम ने जरिये दूरभाष मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मै आपके निर्देशानुसार मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर के ब्यूरो चौकी से रवाना होकर समय करीब 11.50 ए.एम. मावली चौराहा पर पहुच कर परिवादी श्री योगेन्द्र दास वैष्णव के मोबाईल पर सम्पर्क किया। परिवादी कुछ समय बाद मेरे पास आया, जिसको मैने डिजिटल टेप रिकॉर्डर के संचालन की विधि की समझाईश कर डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालू कर समय करीब 12.08 पी.एम. पर सुपुर्द कर आरोपी राकेश गुर्जर कानि. से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु रवाना कर मै अपनी उपस्थिति छूपाते हुए परिवादी के इन्तजार में मुकिम रहा। समय करीब 12.30 पी.एम. पर बाद मांग सत्यापन वार्ता के परिवादी श्री योगेन्द्र मेरे पास आया और डिजिटल टेप रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया, जिसे मैने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि मै यहां से रवाना होकर पुलिस थाना मावली के बाहर पहुचा तो श्री राकेश गुर्जर कानि. मुझे पुलिस थाने के बाहर ही मिल गया था। मैने श्री राकेश गुर्जर से रिश्वत के सम्बन्ध में वार्ता करनी चाही, किन्तु राकेश गुर्जर से मेरी रिश्वत राशि के सम्बन्ध में कोई वार्ता नहीं की और ईशारा कर 1000 रूपये मुझे लिये थे तथा शेष राशि 3000 रूपये का ईशारा कर कहा कब तक देगा। इसके अलावा राकेश गुर्जर कानि. ने मुझसे रिश्वत राशि के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से कोई वार्ता नहीं की क्योंकि पास ही मेरे पास के गांव फतहनगर के रहने वाले एक व्यक्ति ने एक दिन पूर्व श्री राकेश गुर्जर कानि. को उसके भाई से पांच सौ रूपये लेते हुए दूर से ही विडियो बनाई थी। उक्त विडियो रिकॉर्डिंग को उस व्यक्ति द्वारा सीआई

साहब को पेश करने को कहने पर राकेश गुर्जर कानि. द्वारा उक्त व्यक्ति को 500 रूपये लेने के बदले 1000 रूपये दिये थे। परन्तु मै उस आदमी का नाम नहीं जानता हू। उक्त वार्ता भी ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई है। इसलिए राकेश गुर्जर कानि. ने मुझसे रिश्वत की मांग नहीं थी। कानि. टीकाराम द्वारा परिवादी श्री योगेन्द्र की वार्ता भी मन् पुलिस निरीक्षक से करवाई तो परिवादी ने भी कानि. टीकाराम के बताये गये तथ्यों की ताईद की। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी योगेन्द्र को आरोपी द्वारा रिश्वत राशि हेतु सम्पर्क करने पर तुरन्त कानि. टीकाराम या मन् पुलिस निरीक्षक को सुचित करने हेतु निर्देशित किया। इस पर परिवादी ने कहा मेरे घर पर आवश्यक कार्य है, एक दो दिन में काम से फारिग हो पैसे की व्यवस्था करता हूँ। आरोपी के मुझसे रिश्वत राशि हेतु सम्पर्क करते ही तुरन्त आपसे सम्पर्क करूगा। श्री टीकाराम कानि. को आवश्यक हिदायत देकर परिवादी श्री योगेन्द्र दास वैष्णव को गोपनीयता की हिदायत देकर वहीं से रूकतस करने तथा डिजिटल टेप रिकॉर्डर को सुरक्षित ब्यूरो चौकी पर लाने के हिदायत दी गई। तत्पश्चात् समय करीब 3.00 पी. एम. पर श्री टीकाराम कानि. मय डिजिटल टेप रिकार्डर के ब्यूरो कायार्लय में उपस्थित आये। श्री टीकाराम कानि. ने डिजिटल टेप रिकार्डर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश करते हुए पूर्व में जरिये मोबाईल बताये गये हालात की ताईद की। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चला कर सुना गया तो कानि. व परिवादी के द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद हुई, जिस पर डिजिटल टेप रिकॉर्डर को सुरक्षित कार्यालय के मालखाने में रखवाया गया। आईन्दा स्वतन्त्र गवाहन व परिवादी की उपस्थिति में फर्द ट्रांसक्रिप्ट मुर्तिब की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये।

तत्पश्चात् दिनांक 09.07.2023 को समय 11.00 ए.एम. पर परिवादी श्री योगेन्द्र दास वैष्णव ने मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर कॉल कर बताया कि कल दिनांक 08.07.2023 को मेरे मित्र श्री राकेश प्रतापत के घर पर कानि. श्री राकेश गुर्जर व हरिओम मीणा कानि. व दो अन्य व्यक्ति सुबह सुबह गये थे। जिन्होने हम दोनो को समय करीब 10.30 ए.एम. लदानी गांव पर बुलाया था। जिस हम दोनो वहाँ पर गये तो वहा कानि. श्री राकेश गुर्जर व हरिओम मीणा कानि. व दो अन्य व्यक्ति मिले। जिन्होने हम दोनो के मोबाईल ले लिये और मोबाईल से सींम निकालकर तोड दीं और हमारे मोबाईल में रिकॉर्ड वार्ताओं का डिलिट कर कर मेरे मित्र श्री राकेश प्रतापत का मोबाईल उसी समय दे दिया किन्तु मेरा मोबाईल लेकर वह लदानी से फतहनगर रोड की ओर चले गये और मुझको व मेरे मित्र श्री राकेश प्रजापत को वहीं रूकने को कह कर गये, जो करीब 1 घण्टे बाद लौटकर आये और मेरा मोबाईल मुझको दिया। मेरे द्वारा मेरा मोबाईल को चैक किया गया तो मेरे द्वारा दिनांक 29.06.2023 को कानि. राकेश गुर्जर से की गई वार्ता एवं अन्य रिकॉर्डिग को भी डिलिट कर दी गई और कहा कि तुने पुलिस से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया और चले गये। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को दिनांक 10.07.2023 को ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया तो परिवादी ने बताया मेरे घर पर पारिवारिक अतिआवश्यक कार्य होने से उपस्थित नहीं हो पाउगा। मै दिनांक 11.07.2023 को ब्यूरो पर उपस्थित हो जाउगा। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त हालात उच्चाधिकारियो से जरिये दूरभाष निवेदन किये।

तत्पश्चात् दिनांक 11.07.2023 को समय करीब 5.00 पी.एम. पर परिवादी श्री योगेन्द्र दास वैरागी व उसका मित्र श्री राकेश प्रजापत उपस्थित ब्यूरो चौकी आए तथा दिनांक 08.07.2023 को हुई उक्त घटना की ताईद करते हुए एक हस्तलिखित रिपोर्ट पेश की कि "मेरे द्वारा दिनांक 03.07.2023 को ब्यूरो चौकी उदयपुर पर उपस्थित होकर पुलिस थाना मावली के कास्टेबल श्री राकेश गुर्जर द्वारा मेरे गिरफ्तारी वारन्टो की तामिल नहीं करवाने की एवज् में 4500 रूपये रिश्वत मांगी थीं जिसे मेने मेरे मोबाईल में रिकॉर्ड कर आपको पेश की थी, जिस पर दिनांक 04.07.2023 को ब्यूरो द्वारा सत्यापन कराए जाने पर उक्त आरोपी द्वारा 1000 लिए जाकर शेष अगले दिन देने हेतु कहा था लेकिन रूपयो की व्यवस्था नहीं होने एवं घर के कार्य में व्यस्त था। आरोपी से भी रिश्वत राशि हेतु सम्पर्क नहीं हो सका। उक्त आरोपी को इसी बीच शंका होने पर मुझे अचानक दिनांक 08.07.2023 को जरूरी काम का कह कर गांव लदानी बुलाया जहाँ मेरे मित्र राकेश प्रजापत के सामने ही मेरे मोबाईल को छिनकर दिनांक 29.06.2023 को मोबाईल वार्ता जो मेरी व राकेश गुर्जर की थीं, राकेश गुर्जर ने साथ आए सिपाही हरिओम मीणा द्वारा डिलीट कर दी गई तथा मोबाईल की सींम तोडकर मुझे मोबाईल वापस लौटा दिया। मै बहुत घबरा गया था तथा आज में उपस्थित आया हूँ, अब राकेश गुर्जर मुझसे रिश्वत राशि नहीं लेगा क्योंकि उसको शंका हो चुकी है। कृपया कानूनी कार्यवाही करावे, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। तत्पश्चात् समय करीब 6.00 पी.एम. पर परिवादी श्री योगेन्द्र दास वैष्णव द्वारा अपना मोबाईल जिसमें दिनांक 29.06.2023 को हुई रिकॉर्ड वार्ता जो पुलिस थाना मावली में कानि. श्री राकेश गुर्जर एवं परिवादी योगेन्द्र के मध्य रूबरू हुई थीं। उक्त वार्ता जिस मोबाईल में परिवादी द्वारा रिकॉर्ड की गई थीं। उक्त मोबाईल हेण्ड सेट रेडमी-9 पेश किया गया। परिवादी द्वारा पेशशुदा मोबाईल के रिकॉर्डिग फोल्डर को खोल कर चैक किया गया तो दिनांक 29.06.2023 की वार्ता रिकॉर्डिग फोल्डर में नहीं पाई गई। इस प्रकार परिवादी के बताये गये तथ्यों की पुष्ठि होती है। परिवादी द्वारा पेशशुदा

मोबाईल को कब्जे ब्यूरो लिया गया। परिवादी को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु बताया तो परिवादी ने बताया कि मेरी पत्नी दुर्गा देवी का अभी अभी फोन आया है कि मेरी दादाजी श्रीमती सवागी बाई का बीमारी से अभी थोडी देर पहले ही निधन हो गया है। इस लिए मुझे इसी समय मेरे गांव मीना की खेडा मावली तुरन्त लौटना होगा। मै मेरी दादी के दाह संस्कार व अन्य मृत्यु संस्कारों से फारिग हो अग्रिम कार्यवाही हेतु शीघ्र ब्यूरो कार्यालय उपस्थित हो जाउगा। परिवादी श्री योगेन्द्र वैरागी को ब्यूरो चौकी उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर बाद आवश्यक हिदायत ब्यूरो चौकी से रवाना किया गया। परिवादी द्वारा उपस्थित होने पर आईन्दा मोबाईल को स्वतन्त्र गवाहन को तलब कर जरिये फर्द अकब से जब्त किया जावेगा। उक्त मोबाईल को सुरक्षा की दृष्टि से कब्जे ब्यूरो लिया जाकर सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। आईन्दा परिवादी के उपस्थित होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। हालात उच्चाधिकारियो से निवेदन किये गये।

तत्पश्चात दिनांक 20.07.2023 को समय करीब 11.00 ए.एम. पर परिवादी श्री योगेन्द्र दास वैष्णव द्वारा जरिये मोबाईल मन् पुलिस निरीक्षक को फोन कर बताया कि मै आवश्यक घरेलू कार्यो में व्यस्त होने से ब्यूरो चौकी पर उपस्थित नहीं हो पाया। अतः दो-तीन दिन में समय मिलते ही अग्रिम कार्यवाही हेतु ब्यूरो चौकी उपस्थित हो जाउगा।

तत्पश्चात् दिनांक 09.08.2023 को समय 11.00 ए.एम. पर परिवादी श्री योगेन्द्र दास वैष्णव द्वारा जरिये मोबाईल मन् पुलिस निरीक्षक को फोन कर बताया कि दिनांक 01.08.2023 को मै फतहनगर से मावली अपने मोटर साईकिल से अपने घर की तरफ लौटा रहा था। रास्ते में हाईवे पर अचानक एक गाय डिवाईडर को क्रोस कर अचानक मेरे सामने आ गई और मेरी बाईक का बैलेन्स बिगडने से मै गाय से टकरा गया। रोड पर गिरने से मेरे बाये पैर में फेक्चर हो मै उपचारत हू, स्वास्थ्य ठीक होते ही मै अग्रिम कार्यवाही हेतु ब्यूरो चौकी उदयपुर में उपस्थित हो जाउगा।

तत्पश्चात् दिनांक 24.08.2023 को समय 11.50 ए.एम. पर परिवादी श्री योगेन्द्र दास वैष्णव उपस्थित ब्यूरो चौकी उदयपुर आये है। जिन्हे कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। परिवादी श्री योगेन्द्र दास वैष्णव ने अपने मेडिकल उपचार के दस्तावेजो की छायाप्रतियॉ हस्ताक्षरशुदा पेश की। जिसे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया था। तत्पश्चात् समय करीब 12.05 पी.एम. पर पाबन्दशुदा गवाह श्री जितिन चौहान हाल वरिष्ठ सहायक व श्री विशाल माथुर हाल वरिष्ठ सहायक खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर उपस्थित ब्यूरो चौकी हुए। जिन्हे मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपना परिचय देते हुए दोनो गवाहो से अपना-अपना परिचय पूछा तथा परिवादी श्री योगेन्द्र का परिचय दोनो गवाहन से करवाया गया तथा परिवादी द्वारा दिनांक 03.07.2023 व 11.07.2023 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को श्री योगेन्द्र दास वैष्णव दोनो गवाहन को पढकर सुनाया गया तो दोनो गवाहन के समक्ष परिवादी श्री योगेन्द्र दास वैष्णव ने स्वय द्वारा हस्तलिखित हो शब्द-ब-शब्द सही होना स्वीकार किया व स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। जिस पर दोनो स्वतन्त्र गवाहन ने अपने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् समय करीब 12.15 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखा गया से डिजिटल टेप रिकॉर्डर मंगवाया जाकर दिनांक 04.07.2023 को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता तथा दिनांक 29.06.2023 को परिवादी द्वारा अपने स्वयं के मोबाईल में रिकॉर्ड की गई रिश्वत राशि की वार्ता जिसे ब्यूरो के कम्प्युटर के डेक्स टॉप पर सेव किया गया था, को दोनो स्वतन्त्र गवाहन व परिवादी श्री योगेन्द्र दास वैष्णव के समक्ष सुनाई गई तो परिवादी के एक आवाज स्वयं की तथा एक आवाज श्री राकेश गुर्जर कानि. की होना बताया। दोनो गवाहान के द्वारा भी रिश्वत राशि की मांग सत्यापन होने की पुष्टि की।

तत्पश्चात् समय करीब 1.05 पी.एम. पर परिवादी श्री योगेन्द्र दास वैष्णव, आरोपी श्री राकेश गुर्जर कानि. के मध्य रूबरू हुई वार्ता जिसको परिवादी के द्वारा स्वयं के मोबाईल में दिनांक 29.06.2023 को सेव की गई वार्ता जिसे पूर्व में ब्यूरो के कम्प्युटर के डेक्स टॉप पर सेव की गई थी कि मूल व डब सीडी बनाई जाकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवा मूल सीडी से फर्द ट्रासंक्रिप्ट मांगीलाल कानि. नम्बर 215 से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये गये तथा उक्त वार्ता की मूल व डब सीडीयों को पृथक पृथक सीडी कवर में रखा जाकर मूल सीडी को मय सीडी कवर सहित सीलचीट किया गया। डब सी.डी. को भी सीडी कवर में रखा जाकर सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात् समय करीब 01.35 पी.एम. पर परिवादी श्री योगेन्द्र दास वैष्णव व आरोपी श्री राकेश गुर्जर के मध्य दिनांक 04.7.2023 हुई वार्ता जिसको परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था। उक्त डिजीटल टेप रिकार्डर को लेपटॉप से कनेक्ट कर उक्त वार्ता की मूल व डब सीडी तैयार की गई व सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मूल सीडी को लेपटॉप मे लगाकर फर्द ट्रासंस्क्रिप्ट ब्यूरो के श्री मांगीलाल कानि. 215 से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल व डब सीडीयों को पृथक पृथक सीडी कवर में रखा जाकर मूल सीडी को मय सीडी कवर सहित सीलचीट किया गया। डब सी.डी. को भी सीडी कवर में रखा जाकर सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात् समय करीब 02.20

पी.एम. पर परिवादी श्री योगेन्द्र दास वैष्णव व आरोपी श्री राकेश गुर्जर के मध्य दिनांक 04.7.2023 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जिसको परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड में प्रयुक्त मैमोरी कार्ड किंगस्टन कम्पनी का 32 जीबी बरंग ब्लेक को परिवादी एवं गवाहान के सक्षम डिजिटल टेप रिकॉर्डर से निकालकर वजह सबूत उसको एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलचिट कर जब्त किया जाकर थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् समय करीब 02.40 पी.एम. पर परिवादी श्री योगेन्द्र दास वैष्णव व आरोपी श्री राकेश गुर्जर के मध्य दिनांक 29.06.2023 हुई रूबरू वार्ता जिसको परिवादी श्री योगेन्द्र द्वारा स्वय के मोबाईल रेडमी-9, बरंग ऑसियन ब्ल्यू जिसके आईएमईआई नम्बर क्रमशः प्रथम 862543049653559 एवं दूसरा आईएमईआई नम्बर 862543049653567 है। मोबाईल ड्यूल सिम होकर मोबाईल में स्लॉट नम्बर एक में सिम नहीं है तथा दूसरे स्लॉट में सिम एयरटेल कम्पनी की जिसके नम्बर 9829633858 है, उक्त मोबाईल के रिकॉर्डर परिवादी श्री योगेन्द्र दास वैष्णव द्वारा वार्ता को रिकॉर्ड किया गया था। उक्त मोबाईल में से यदपि आरोपी द्वारा मूल वार्ता डिलिट कर दी गई है, परन्तु उक्त सम्बन्ध में भविष्य में एफएसएल से जॉच करवाने हेतु उक्त मोबाईल को वजह सबूत एक सफेद कपडे की थैली में सिलचिट कर जब्त किया जाकर थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवा हालात श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किये गये। तत्पश्चात् समय करीब 03.00 पी.एम. पर बाद कार्यवाही परिवादी श्री योगेन्द्र दास वैष्णव तथा दोनो गवाहन श्री जितिन चौहान व श्री विशाल माथुर को बाद आवश्यक हिदायत के ब्यूरो चौकी से रुकसत किया गया। हालात श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किये गये।

आरोपी श्री राकेश गुर्जर कानि. पुलिस थाना मावली जिला उदयपुर के द्वारा एक लोकसेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग कर परिवादी योगेन्द्र दास वैष्णव के विरुद्ध दर्ज दो एनआई एक्ट वारंट में तामिल नहीं करवाने की एवज् में दिनांक 29.06.2023 को आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि की मांग की गई थी जिसे परिवादी ने अपने मोबाईल में रिकॉर्ड की थी तत्पश्चात् दिनांक 04.07.2023 को मांग सत्यापन करवाया गया किन्तु आरोपी श्री राकेश गुर्जर कानि. द्वारा रिश्वत राशि की मांग नहीं की गई। तत्पश्चात् आरोपी को ब्यूरो द्वारा की जा रही ट्रेप कार्यवाही की भंनक लग जाने से परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण नहीं करना पाया गया है।

अतः आरोपी श्री राकेश गुर्जर पुत्र श्री पप्पू राम गुर्जर उम्र 28 वर्ष निवासी गांव किशनपुरा डोबा, पोस्ट सिलीसेढ़ तहसील व जिला अलवर हाल कानि. नम्बर 450, पुलिस थाना मावली जिला उदयपुर के द्वारा भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री योगन्द्र दास वैष्णव से 4000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग करना अन्तर्गत जुर्म धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रकरण दर्ज करने अनुशंषा के साथ रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा मे सादर प्रेषित है।

भवदीय

(डां. सोनू शेखावत)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
उदयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डॉ. सोनू शेखावत, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री राकेश गुर्जर पुत्र पप्पु राम गुर्जर निवासी गांव किशनपुरा डोगा, पोस्ट सिलीसेढ, तहसील व जिला अलवर हाल कानि. नम्बर 450, पुलिस थाना मावली, जिला उदयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 303/2023 उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

5/12/23

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 3123-26 दिनांक 05.12.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला उदयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।

पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।